बाबू विरूद्ध म0प्र0 शासन

XJX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1230-I/14 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-12-14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 55/10–11/170(ख) में पारित आदेश दिनांक 3–3–11 के विरूद्ध पेश की गई है । इस प्रकरण के बारे में अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध एक याचिका कमांक 1148/2014 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायालय में बिताए हुए समय को क्षमा इस आधार पर किया था कि यदि आवेदक संहिता के अंतर्गत प्राप्त उपचार के अनुसार कार्यवाही करता है तो इस विलंब को अवधि की गणना करते समय न जोड़ा जाये । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के प्रकाश में संहिता के प्रावधानों के अनुसार आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील करना चाहिए थी जो न करते हुए इस न्यायालय में पुनरीक्षण पेश किया गया है । 2– अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में आदिवासी की भूमि अवैध रूप से अंतरित की गई है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह विधिसम्मत और न्यायिक है । आवेदक नेउसको उपलब्ध उपचार का प्रयोग न करते हुए इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है । आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उसका कोई पालन नहीं किया गया है । इन समस्त स्थिति के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह विधिसम्मत उचित और वैधानिक होने से उसकी पुष्टि की जाती है । यह पुनरीक्षण अग्राह्य किया जाता है । 2– आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2014 श्योपुर R 1230-I/14

...सिंह कुशवाह अभिभाषक
...आज दि. 15-4-14 को
...स्तुत
...ऑफ कोर्ट
...लियर

बाबू[redacted] पुत्र गोपीलाल,
निवासी– ग्राम फिलोजपुरा, तहसील व
जिला–श्योपुर ...... आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन ..... अनावेदक

ंहिता 1959 के